<u>न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ</u>

<u>पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर.ए.एस.)</u>

प्रकरण संख्या : 02 / 2023
दायर दिनांक : 17.01.2023
निर्णय दिनांक : 09.10.2025

उनवान

1. आयुष पिता राकेश गौड़ निवासी 174, मंगल विहार स्कीमन . 5 अलवर हा.नि. 802 क्लासिक टॉवर, नवरतन कॉम्प्लेक्स, भुवाणा, उदयपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. मृतक धापूबाई पत्नी भैरा रावत निवासी कबीरजी की भागल के बजाय वारिसान
(अ) रामलाल पिता भैरा जाति रावत निवासी कबीर जी की भागल तह. भूपालसागर
(ब) किशनलाल पिता भैरा रावत निवासी कबीर जी की भागल तह. भूपालसागर
2. भूमिधारी तहसीलदार, भूपालसागर

अप्रार्थीगण

<u>राजस्व प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

उपस्थिति : 1. श्री अभय चपलोत, अधिवक्ता

<u>:: निर्णय ::</u>

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि :

यह है कि ग्राम कबीरजी की भागल पटवार हल्का कानडखेड़ा तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में प्रार्थी के खातेदारी की आराजियात स्थित है जिसके हाल जमाबंदी दर्ज खाता सं. 3 से दर्ज आराजी सं. 336 रकबा 1.87 है. किता 1 रकबा 1.87 हैक्टेयर स्थित है। उक्त आराजियात पर मैं प्रार्थी काबिज हो काश्त कर रहा हूं, वजह सबूत हाल जमाबंदी हाल नक्शा ट्रेस संलग्न है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजियात में पैदल आने जाने, मवेशी लाने ले जाने, बैलगाडी भरी खाली, ट्रेक्टर मय ट्रोली खाली भरी लाने ले जाने व हंकाई के लिये ट्रेक्टर लाने ले जाने के लिये अप्रार्थीगण की खाता सं. 34 आ.सं. 324, 330 में से उक्तरास्ते का उपयोग प्रार्थीगण अपने बाप दादाओं के समय से ही उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं किन्तु रावत रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं होने से विपक्षीगण अब आये दिन रास्ते में अवरोध पैदा करते हैं व बुवाई व हंकाई के समय मवेशी लाने ले जाने के समय आयेदिन परेशानी रहती है कि राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं है जिससे प्रार्थी को उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग विपक्षीगण नहीं करने दे रहे हैं, जिस कारण हम प्रार्थी के मवेशी लाने ले जाने में व फसल बोने में पेरशानी पैदा हो रही है। प्रार्थी अपनी आराजियात में जाने के लिये उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को कई मर्तबा रास्ता डी.एल.सी. दर से देने के लिये कहा तो मना कर दिया और रास्ते में [illegible] कर रहे हैं। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की कॉलम सं. एक में वर्णित आराजियात में [illegible] के अलावा पैदल जाने जाने, मवेशी आदि लाने ले जाने, बैलगाड़ी मय खाली [illegible] के लिये जाने ले जाने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.10.29 13:28:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

लिये उक्त रास्ते के अलावा और अन्य कोई रास्ता नहीं है, न ही अन्य कोई रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी को अपनी उक्त आराजियात में जाने के लिये अप्रार्थीगण के खातेदारी आराजियात सं. 324 व 330 की उत्तरी पाली पर चौड़ा 15 फीट व लम्बा आ.सं. 336 के अन्तिम कॉर्नर तक यानि प्रार्थी की आ.सं. 336 तक प्रवेष करने का कुलिया रास्ता कायम कराने का प्रार्थी न्यायालय से प्रार्थना करता है तथा कुलिया रास्ते के रकबे का न्यायालय आदेशानुसार प्रार्थी राशि जमा कराने के लिये तैयार है।

1. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी सं. 1(1) व 1 (2) उपस्थित नहीं आने से दिनांक 13.02.2024 को कार्यवाही एकतरफा की गई। राजपैरोकार द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट को ही जवाब माना जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भूपालसागर से बिन्दुवार रिपोर्ट मंगवाई गई।
2. प्रकरण में वकील प्रार्थी व राजपैरोकार की बहस सुनी। प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु रास्ता पास की खातेदारी आराजी से रास्ता दिया जाने हेतु निवेदन किया। राजपेरोकार भूपालसागर द्वारा अपनी बहस में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए रास्ता दिया जाने में कोई आपत्ति नही होना बताया।
3. हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार भूपालसागर से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :–
4. क्या प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है, अगर हां तो रास्ते का उल्लेख करे (मय नक्शा ट्रेस एवं नकल जमांबदी)

   प्रकरण में तहसीलदार भूपालसागर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की आराजी पर जाने हेतु आ. नं. 324 रकबा 0.89 है. में से पूर्व की मेड़ पर 5 मीटर चौड़ाई व 90 मीटर लम्बाई 5X90= 450 वर्गमीटर तथा आ.सं. 330 की पूर्व मेड एवं दक्षिण की मेड़ पर 5 मीटर चौडाई एवं 120 मीटर लम्बाई 5X120= 600 वर्गमीटर कुल 1050 वर्गमीटर रास्ता में भूमि जायेगी। उक्त 1050 वर्गमीटर भूमि की कीमत 91, 329/ रूपये बनते हैं।
5. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो क्या प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नही है। इस आशय का प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करावें।

   तहसीलदार, भूपालसागर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थिया द्वारा अपनी आराजी में जाने हेतु यही रास्ता चाहा जो लघुत्तम एवं निकटतम मार्ग है।
6. यदि पक्षकारान (अप्रार्थीगण) रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थीगण की आराजीयात चाहते है तो उसका रकबा, नक्शा ट्रेस मय पर्चा मौका संलग्न करावें।

   अप्रार्थी राजस्थान सरकार है।
7. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो आप प्रकरण के समस्त पक्षकारान को तलब कर आपसी राजीनामें से रास्ता देने बाबत सहमति का प्रयास करें एवं सहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल एवं पक्षकारान को दी जाने वाली राषि इत्यादि के संबंध में सहमति का विवरण प्रस्तुत करावें।

   – रिपोर्ट दिनांक 21.08.2024 संलग्न है।
8. सहमति नहीं होने की स्थिति मे लघुत्तम रास्ता प्रस्तावित कर प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल (लम्बाई × चौडाई) एवं क्षेत्र की डीएलसी दर का दुगुने की गणना क्षेत्रफल से कर राशि प्रस्तावित करें। (मय पर्चा मौका)

   तहसीलदार भूपालसागर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की आराजी पर जाने हेतु आ. नं. 324 रकबा 0.89 है. में से पूर्व की मेड़ पर 5 मीटर चौड़ाई व 90 मीटर लम्बाई 5X90= 450 वर्गमीटर तथा आ.सं. 330 की पूर्व मेड एवं दक्षिण की मेड़ पर 5 मीटर चौडाई एवं 120 मीटर लम्बाई 5X120= 600 वर्गमीटर कुल 1050 वर्गमीटर रास्ता में भूमि जायेगी। उक्त 1050 वर्गमीटर भूमि की कीमत 91,329/ रूपये बनते हैं। जिसका दुगुना करने पर कुल राशि 1,82,658 रूपये होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.10.29 13:28:42 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त विवेचन व बिन्दुवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थीगण अपनी भूमि मौजा कबीरजी की भागल के हल्के बैरूनी में स्थित है। प्रार्थीगण की आराजीयात में आने जाने, हेतु

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

आ. नं. 324 रकबा 0.89 है. में से पूर्व की मेड़ पर 5 मीटर चौड़ाई व 90 मीटर लम्बाई 5X90= 450 वर्गमीटर तथा आ.सं. 330 की पूर्व मेड एवं दक्षिण की मेड़ पर 5 मीटर चौडाई एवं 120 मीटर लम्बाई 5X120= 600 वर्गमीटर कुल 1050 वर्गमीटर चौड़ाई का रास्ता चाह रहे हैं। रास्ता दिये जाने में तहसीलदार भूपालसागर द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है व सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राषि पर सषुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—:: आदेश ::—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा कबीर जी की भागल तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल आराजी न0 336 में आने जाने हेतु विपक्षी की आ.न. 324 व 330 से है। जिसका रकबा 1050 वर्गमीटर है, का जिसका राजस्व नक्शा ट्रेस व रिपोर्ट दिनांक 21.08.2024 संलग्न है, का रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात पर पहुंच हेतु कायम किया जावे। उक्त भूमि डीएलसी दर 91,329 रूपये प्रति हैक्टयर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 1050 वर्गमीटर की कुल मालियत 91,329 रूपये का दुगुना 1,82,658 रूपये अक्षरे एक लाख बयासी हजार छः सौ अट्ठावन रूपये राशि प्रार्थी से वसूल कर अप्रार्थी को उपलब्ध करवायी जावे। उक्त राशि उपलब्ध कराने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नही रहेगा, केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावे। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार, भूपालसागर को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.10.29 13:28:42 IST
Reason: SelfAttested